ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र), भारत

[फोन नं. 07152 – 230902]

[वेबसाइट : www.hindivishwa.org]

विश्वविद्यालय परिसर में दुकान आवंटन हेतु निविदा

निविदा क्रमांक : MGAHV/CD/34/2024-25/07 दिनांक :25.11 .2024

विश्वविद्यालय परिसर के नज़ीर हाट स्थित दुकानों का आवंटन किया जाना है। निविदा की विस्तृत/अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट *www.hindivishwa.org* का अवलोकन किया जा सकता है।

25/11/2024

कुलसचिव

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
(संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र),
वेबसाइट :www.hindivishwa.org

नज़ीर हाट स्थित दुकानों का आवंटन

तकनीकी निविदा

विश्वविद्यालय परिसर स्थित नज़ीर हाट स्थित ख़ाली दुकानों के आवंटन हेतु निम्नांकित शर्तों के अनुसार निविदा आमंत्रित की जाती है-

1. ₹ 500 की डी.डी. (आवदेन शुल्क) (अप्रतिदेय)	वित्ताधिकारी, म.गां.अं.हिं.वि.,वर्धा महाराष्ट्र के नाम देय
2. आधार क्रमांक (प्रमाणित प्रति) अनिवार्य।	
3. FSSAI प्रमाण पत्र	
4. PAN क्रमांक (प्रमाणित प्रति) अनिवार्य।	
5. महाराष्ट्र Shop Act प्रमाणपत्र	
6. प्रत्येक माह बिल भुगतान	बिल प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर बिल का भुगतान वित्त विभाग में करना अनिवार्य होगा।

निविदाकर्ता का पूरा नाम-

पता

- मकान संख्या-
- मुहल्ला-
- थाना -
- जिला -
- राज्य -
- पिन कोड-
- मोबाइल क्रं.-
- ई-मेल-

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

विश्वविद्यालय परिसर के नज़ीर हाट स्थित खाली दुकानों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	**आबंटित की जाने वाली दुकानों का नाम/ क्रमांक**	**उद्देश्य**	**जगह (वर्ग फीट)**
01.	मसि-कागद (01)	पुस्तक/स्टेशनरी दुकान	184.42
02.	झकाझक (02)	खादी एवं आयुर्वेदिक सामग्री	118.79
03.	सर्वोदय (03)	नाई की दुकान	118.79
04.	रोजमर्रा (05)	पुस्तक विक्रय केंद्र	150.64
05.	पोथी (06)	पुस्तक विक्रय केंद्र/ वाणि प्रकाशन	150.64
06.	लिबास (07)	वस्त्रालय	129.12
07.	कन्दमूल (08)	फल-सब्जी की दुकान	129.12
08.	गोरस (09)	डेयरी उत्पाद की दुकान	129.12
09.	कुंतल (12)	फल-सब्जी की दुकान	86.08
10.	आपूर्ति (13)	खाद्यान्न एवं घरेलू उपयोग की सामग्री	184.42
11.	केंद्रीय पुस्तकालय के पास वाली दुकान	फोटोकॉपी की दुकान	120

सामान्य शर्ते :

1. दुकानों हेतु आवेदन दिनांक 16.12.2024 अपराह्न 05:00 बजे तक स्वीकार किये जाएंगे।
2. तकनीकी (Technical) एवं वित्तीय निविदा (Financial bid) के अलग-अलग सीलबंद लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में डालकर लिफाफा बंद कर लिफाफे पर **"दुकान हेतु आवेदन"** स्पष्ट लिखा हुआ हो। सभी लिफाफों पर मोबाइल नंबर, फर्म का नाम एवं पता लिखना अनिवार्य है।
3. निविदा को कुलसचिव कार्यालय में रखे निविदा बाक्स (Tender Box) में डालना होगा।
4. विश्वविद्यालय परिसर में उपलब्ध दुकानों का लाइसेंस शुल्क न्यूनतम ₹ 5.00 (₹ पाँच मात्र) वर्ग फीट प्रति माह निर्धारित है।
5. जिस उद्देश्य के लिए दुकान चाहिए, उसका, आवेदन में स्पष्ट उल्लेख होना अनिवार्य है।
6. दुकान का आवंटन प्रथमतः 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा, जिसे दोनों पक्षों (विश्वविद्यालय एवं आवंटी) की परस्पर सहमति के आधार पर अधिकतम 05 (पांच) वर्ष की अवधि (दो वर्ष के बाद प्रत्येक वर्ष 05% किराए में वृद्धि करते हुए) तक बढ़ाया जा सकता है।
7. दुकान हेतु बिजली विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके लिए अलग से मीटर की व्यवस्था होगी। बिजली की दर Maharashtra State Electricity Distribution Co. LTD. की अधिकतम व्यावसायिक दर के अनुसार प्रतिमाह आबंटी द्वारा देय होगी।

8. एक उद्देश्य के लिए अधिकतम 02 (दो) व्यक्तियों को दुकान आवंटित की जा सकती है।

9. पानी शुल्क दुकानों हेतु ₹ 100/- (रुपया सौ मात्र) प्रति माह की दर से आबंटी द्वारा देय होगा।

10. दुकान अधिकतम सुबह 8:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक या विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित समयानुसार खुली रखनी होगी।

11. आबंटित दुकानों को भारत सरकार/महाराष्ट्र सरकार के श्रम कानूनों, बाल मजदूरी कानूनों, दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम,वर्धा पुलिस के लाइसेंस संबंधी नियमों आदि का पालन करना अनिवार्य है। दुकान में नियुक्त कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन दुकान आबंटी द्वारा सुनिश्चित कराना होगा।

12. आबंटी व्यक्ति किसी अन्य को परिसर में दुकान का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। साथ ही, जिस उद्देश्य के लिए दुकान खोलने की अनुमति मांगी गई है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य सामग्री की बिक्री/व्यवसाय करने हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

13. नियमित रूप से दुकान खोलना होगा।

14. दुकान में उपलब्ध सामग्रियों का बिक्री मूल्य स्थानीय बाजार मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए।

15. दुकानों के अंदर एवं संपूर्ण दुकान/हाट परिसर की सफाई तथा कूड़े (सूखा एवं गीला) का निस्तारण सभी दुकानदारों को मिलकर करना/कराना होगा।

16. किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर 01 (एक) माह की नोटिस पर दुकान खाली करना होगा।

17. नजीर हाट परिसर में धूम्रपान, गुटखा इत्यादि का सेवन एवं बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है।

18. आवंटी को अनुबंध/निविदा की शर्तों का पालन अनिवार्यतः सुनिश्चित करना होगा।

19. सुरक्षा राशि के रूप में आबंटन के समय आबंटी को 10 माह के लाइसेंस शुल्क के बराबर की राशि विश्वविद्यालय के वित्त विभाग में संबंधित सूचना प्राप्ति के 07 कार्यालयीन दिवसों के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। सुरक्षा राशि पर कोई भी ब्याज़ देय नहीं होगा। अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर सुरक्षा राशि लौटायी नहीं जाएगी।

20. उक्त किसी भी निविदा एवं शर्त में परिवर्तन/परिवर्धन/निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सदैव सुरक्षित रहेगा।

21. उक्त कार्य के लिए न्याय क्षेत्र वर्धा (महाराष्ट्र) होगा।

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/ करती हूँ कि दुकान आवंटन संबंधी समस्त शर्तें मुझे स्वीकार्य हैं। इन नियमों/शर्तों को मेरे द्वारा पालन न करने की स्थिति में विश्वविद्यालय मेरी जमा सुरक्षा राशि को जब्त करते हुए आवश्यक हो तो मेरे ऊपर विधिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांक :

स्थान :

निविदा भरने वाले के हस्ताक्षर

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

(संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र),

वेबसाइट :www.hindivishwa.org

नज़ीर हाट स्थित दुकानों का आवंटन

वित्तीय निविदा

विवरण	जगह (वर्ग फीट)	न्यूनतम निर्धारित दर प्रति वर्ग फीट प्रति माह	दुकान के किराए की दर @ ₹ प्रति वर्ग फिट प्रति माह	दुकान लेने का उद्देश्य
• दुकान क्रमांक....... • दुकान का नाम		₹ 5.00		

निविदाकर्ता का पूरा नाम

पता

- मकान संख्या–
- मुहल्ला–
- थाना –
- जिला –
- राज्य –
- पिन कोड–
- मोबाइल नं.–
- ई–मेल–

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/ करती हूँ कि दुकान आवंटन संबंधी समस्त शर्तें मुझे स्वीकार्य हैं। इन नियमों/शर्तों को मेरे द्वारा पालन न करने की स्थिति में विश्वविद्यालय मेरी जमा सुरक्षा राशि को जब्त करते हुए आवश्यक हो तो मेरे ऊपर विधिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर